

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा (म0प्र0)

(वीडियोग्राफी हेतु निविदा)

क्रमांक/वि.स.नि./2018 /~~लेखा~~/647

दिनांक ~~25~~/6/2018

निविदा सूचना

**ELECTION
PRIORITY!**

विधानसभा चुनाव 2018 के लिए विधानसभा क्षेत्र मांधाता/हरसूद/खण्डवा/पंधाना की महत्वपूर्ण घटनाओं (क्रिटीकल एवं निर्वाचन विधि का उल्लंघन) की वीडियोग्राफी करने के लिए वीडियोग्राफरों से वीडियो कैमरा/डिजीटल कैमरा प्रति नग प्रति दर से सीलबंद निविदाएं दिनांक 09.07.2018 समय 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रपत्र दिनांक 06.07.2018 तक रुपये 500/- नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाकार को धरोहर राशि रुपये 50,000/- नगद या राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

निविदा शर्तें, सामग्री की सूची एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में एवं कार्य दिवसों में दिनांक 06.07.2018 तक प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष दिनांक 09.07.2018 समय 04.00 बजे खोली जायेंगी।



कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला खण्डवा

क्रमांक-क/सा.नि.शा./लेखा./2018 /648

खण्डवा, दिनांक ~~25~~/06/2018

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर भेजते हुए लेख है कि कृपया विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
03. आयुक्त संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ।
04. कलेक्टर.....समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
05. उप जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा की ओर सूचनार्थ।
06. अनुविभागीय अधिकारी, खण्डवा, पुनासा, हरसूद, पंधाना की ओर सूचनार्थ।
07. तहसीलदार खण्डवा, पुनासा, हरसूद, पंधाना, खालवा की बोर्ड पर चस्पा कर व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु।
08. जिला निर्वाचन कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
09. जिला नाजिर, कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु अग्रेषित।



कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला खण्डवा

:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व निमाड़, खण्डवा ::

Phone 0733-2226161, E-mail-deokhandwa01@gmail.com


क्रमांक-क/वि.स.नि./2018/647A


खण्डवा, दिनांक 26/06/2018

विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी के लिए निजी वीडियोग्राफी से निम्न शर्तों के अधीन मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :-

1. निविदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा के कार्यालय में दिनांक 06.07.2018 को 03.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है निविदा दिनांक 09.07.2018 को समय 04.00 बजे खोली जावेगी।
2. जिस निविदाकार की दर न्यूनतम होगी उसे स्वीकार किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को किसी भी समय बिना कारण बताए निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।
3. निविदा निर्धारित मूल प्रपत्र में प्रस्तुत की जाना चाहिए और निविदा दाता द्वारा उसे हस्ताक्षरित होना चाहिए निविदा बंद लिफाफे (जिस पर वीडियोग्राफी के लिए निविदा अंकित हो) में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
4. प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रुपये 50,000/- पचास हजार का बैंक ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा के पक्ष में संलग्न करें।
5. प्राप्त निविदाओं के समस्त बंद लिफाफे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोले जावेंगे। जिन निविदादाताओं की अमानत राशि जमा नहीं होगी वह निविदा अस्वीकृत की जावेगी तथा जिन निविदाकारों की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसकी अमानत राशि कार्य समाप्त होने पर तथा निविदाकार से होने वाली समस्त वसूली के उपरान्त वापिस कर दी जावेगी।
6. सफल निविदाकार को रिकार्ड के बाद वीडियो कैंसेट/सीडी जिला निर्वाचन अधिकारी को वापिस करनी होगी तथा कैंसेट की पूर्ण उपयोग कर जमा करनी होगी।
7. निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकारों को निम्न अन्य शर्तों का पालन करना आवश्यक है :-
 - (11) वीडियोग्राफी के कार्य का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
 - (12) निविदाकार को किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। निविदाकारों को किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी से चाय, नाश्ता, खाना इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि इसका उल्लंघन पाया गया तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
 - (13) निविदाकार अपनी ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित नहीं रहेगा।
 - (14) सफल निविदाकार सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।
 - (15) निविदाकार का कार्यक्षेत्र तथा आवश्यक कैमरों की संख्या परिशिष्ट-एक तथा दो के अनुसार होगी।
 - (16) निविदादाता वीडियो कैंसेट पूर्ण होने तक कैंसेट/सीडी की सुरक्षा के लिये पूर्णतः जिम्मेदार होगा वीडियो कैंसेट पूर्ण होने पर निविदाकार तत्काल उस कैंसेट को जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सौंपेगा।
 - (17) प्रत्येक खण्ड के कार्य का विस्तृत ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदाकार को यथा समय उपलब्ध कराया जावेगा।
 - (18) निविदाकार से जिस दिन प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी निविदाकार को उस दिन का भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रत्येक कैमरामैन की उपस्थित प्रतिदिन संबंधित अधिकारियों से प्रमाणित कराके देने का निविदाकार का उत्तरदायित्व होगा।
 - (19) निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त निविदाकार की यह जिम्मेदारी होगी की कार्य निर्विघ्न रूप से निरंतर चलता रहे किसी भी तरह विलम्ब अथवा रुकावट के लिए उसका कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा तथा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
 - (20) जिन निविदाकारों को निविदा स्वीकृत होगी उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि निविदा प्रारूप के भाग दो में उन्होनें जितने वीडियो कैंमरे का उल्लेख किया है वे सभी कार्य हेतु उपलब्ध रहे।
8. निविदादाता द्वारा जिस दर पर निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा कि उस दर में समस्त प्रकार के कर सम्मिलित हैं। निविदा पर निविदादाताओं को अपना वाणिज्य कर तथा आयकर पंजीयन क्रमांक व अवधि अंकित करना होगा। नियत आयकर वाणिज्य कर भुगतान की जाने वाली राशियों में से काट कर कार्यालय द्वारा जमा, खजाना किया जावेगा।
9. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि गुण दोष के आधार पर बिना कोई कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकते हैं।
10. निविदादाता निविदा प्रारूप के परिशिष्ट चार में संलग्न प्रमाण पत्र हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करें।
11. निविदाकार के आय कर एवं वाणिज्य कर की नियमानुसार कटौती उन्हें अदा की जाने वाली राशि में से काट ली जावेगी।
12. किसी भी तरह के विवाद हेतु अंतिम निर्णय जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा का होगा।
13. कैंसेट निविदाकार को स्वयं की अच्छी किस्म की उपयोग करनी होगी।

14. इस कार्य हेतु लगभग 100 कैमरामेनों की आवश्यकता होगी जिसकी सूचना आवश्यकतानुसार आपको 3 घण्टे पूर्व दी जायेगी। संख्या आवश्यकतानुसार घट बढ़ सकती है।
15. कैमरामेन को उनकी उपस्थिति का प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता या जिस अधिकारी के पास अटैच किया जावेगा उससे प्राप्त करना होगा। उनके प्रमाण पत्र अनुसार ही भुगतान किया जावेगी। कैमरामेनों की उपस्थिति पंजी संबंधित अधिकारी के पास रखा जावेगी। जिसमें उपस्थिति दर्ज कराने का दायित्व भी निविदाकार का ही होगा, जिसके अभाव में भुगतान नहीं किया जावेगा।
16. कैमरामेनों को उनकी ड्यूटी के गंतव्य स्थान पर पहुंचाने तथा वापस लाने, खाने पीने आदि का प्रबंध स्वयं करना होगा।
17. यदि निविदाकार द्वारा निर्धारित शर्त एवं प्रक्रिया तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। एवं उनकी कीमत पर किसी अन्य वीडियोग्राफर के कार्य लिया जावेगा तथा अन्तर की राशि उस सफल निविदाकार से वसूली योग्य होगी।
18. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने संबंधी निर्णय लेने के कारण अथवा चुनाव कार्यक्रम में होने वाली किसी परिवर्तन या पुनर्मतदान व अन्य कारण संशोधित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार निविदादाता स्वीकृत दर से अपनी सेवा जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य रहेगा।
19. निविदा का प्रत्येक पृष्ठ निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
20. निविदादाता जानकारी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है।
21. सफल निविदाकार को तुरन्त अनुबंध सम्पादित कराना होगा।


(विशेष गढ़पाले)
कलेक्टर


एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
 जिला-खण्डवा

क्रमांक-क/सा.नि.शा./लेखा./2018/648A
प्रतिलिपि :-

खण्डवा, दिनांक 26 /05 /2018

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग खण्डवा की ओर स्थानीय तथा क्षेत्रीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराकर पेपर कटिंग भेजने हेतु।
03. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (एन.आई.सी) खण्डवा की ओर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
04. मेसर्सकी ओर सूचनार्थ


कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
 जिला-खण्डवा

भाग - 2

विडियोग्राफी हेतु निर्धारित विडियों/कैमरों (अनुमानित) का जिला स्तरीय एवं विधानसभावार विवरण

स.क्र.	खण्ड क्रमांक	अवधि (अनुमानित)	175-मांघाता		176-हरसूद		177-खण्डवा		178-पंधाना	
			विडियो कैमरे	डिजीटल कैमरे	विडियो कैमरे	डिजीटल कैमरे	विडियो कैमरे	डिजीटल कैमरे	विडियो कैमरे	डिजीटल कैमरे
1-	नामांकन कार्यवाही	10 दिवस	02	0	02	0	02	0	02	0
2-	कानून व्यवस्था	25 दिवस	03	0	03	0	03	0	03	0
3-	व्यय लेखा	25 दिवस	01	0	01	0	01	0	01	0
4-	पेक्षक	25 दिवस	01	0	01	0	01	0	01	0
5-	रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर	25 दिवस	02	0	02	0	02	0	02	0
6-	प्रचार-अभियान, आमसभा आदि	25 दिवस	02	0	02	0	02	0	02	0
7-	ई.व्ही.एम. जांच, रेण्डमाईजेशन, सौलिंग	10 दिवस								
10 (डिजिटल कैमरे)										
8-	मतगणना कार्यवाही	1 दिवस	01	0	01	0	01	0	01	0
9-	संवदेनशील मतदान केन्द्रों की संख्या (मतदान केन्द्रों का २५ प्रतिशत)	1 दिवस	0	25	0	25	0	25	0	25
10-	अन्य कार्यवाही हेतु आरक्षित	30 दिवस	01	0	01	0	01	0	01	0
11-	जिला निर्वाचन अधिकारी	25 दिवस								
01 (विडियों कैमरे)										
योग			13	25	13	25	13	25	13	25

१. जिला स्तर पर आवश्यक विडियों कैमरों की संख्या - 01
२. जिला स्तर पर आवश्यक डिजीटल कैमरों की संख्या - 10
३. विधानसभा स्तर पर आवश्यक विडियों कैमरों की संख्या - 52
४. विधानसभा स्तर पर आवश्यक डिजीटल कैमरों की संख्या - 100
५. आवश्यक सी.सी.टी.वी. कैमरों की संख्या - 0


कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला खण्डवा

नोट : उक्त संख्या अनुमानित है। आवश्यकतानुसार संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

भाग : 3

आवेदन पत्र

(वीडियोग्राफी कार्य हेतु सेवाएँ प्रदान करने के लिए)

- 01- निविदाकार की फर्म का नाम
- 02- फर्म का प्रकार (स्वयं/भागीदारी/निदेशक)
- 03- फर्म के मालिक /प्रोपराइटर /निदेशक का विवरण
नाम:
- पता:
- मोबाईल नंबर
- दूरभाष नंबर
- फैक्स नंबर
- ई-मेल का पता
- 04- जमा की गई प्रतिभूति राशि का विवरण बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी का क्रमांक
दिनांक.....राशि.....बैंक का नाम
- 05- पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता :
- दूरभाष नंबर
- फैक्स नंबर
- ई-मेल का पता
- 06- स्थानीय शाखा का पूरा पता
- दूरभाष नंबर
- फैक्स नंबर
- ई-मेल का पता
- 07- फर्म के स्थानीय/क्षेत्रीय अधिकारी का विवरण
नाम:
- पता:
- मोबाईल नंबर
- दूरभाष नंबर
- फैक्स नंबर
- ई-मेल का पता
- 08- निविदाकार के बैंक का विवरण:
बैंक का नाम:
- शाखा का पता
- खाता क्रमांक
- आई.एफ.एस.सी
- 09- पैन संख्या
- (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 10- सेवाकर पंजीकरण/जीएसटी संख्या
- (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

- 01- निम्नलिखित प्रारूप में पिछले तीन वर्षों के दौरान यदि कोई भी निविदाकार द्वारा उपरोक्त कार्य किया गया हो तो ऐसे अनुबंधों का ब्यौरा दे- (प्रदान की गई जगह अप्रत्याप्त हो तो अलग पृष्ठ संलग्न करें।)

स.क्र.	संबंधित संस्थाओं का नाम/पता/दूरभाष/मो0/ई-मेल का पता	किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुबंध की कुल राशि (लाख/करोड़)	कार्य की कुल अवधि	रिमार्क	कार्यादेश/भुगतान आदेश की प्रति संलग्न करें।

- 02- उपलब्ध संसाधनों का विवरण

- 1- उपलब्ध वीडियो कैमरों की संख्या
- 2- उपलब्ध डिजीटल कैमरों की संख्या
- 3- उपलब्ध सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की संख्या
- 4- केमरामेनों की संख्या

अंको में

शब्दों में

.....
.....
.....
.....

दिनांक :

स्थान :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम:

सील:

भाग : 5

प्रमाण-पत्र

- 1- मैं/हम/प्रमाणित करते हैं कि निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।
- 2- मेरे अथवा मेरे किसी निकट संबंधी का किसी भी राजनैतिक दल अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत कि जा रही निविदा में उल्लेखित क्षेत्र से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि भविष्य में मेरे अथवा मेरे किसी निकट संबंधी राजनैतिक दल अथवा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध निर्मित होता है तो मैं उसकी अविलम्ब लिखित सूचना किसी भी परिस्थिति में 24 घण्टे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रस्तुत करूंगा।
- 3- मैं अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ एवं राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए पूर्ण करूंगा एवं ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करूंगा जिससे निर्वाचन की निष्पक्षता एवं निर्विघ्नता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े

स्थान

दिनांक.....

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम

फर्म का नाम

फर्म का पता

निवास का पता

फर्म का दूरभाष नंबर

निवास का दूरभाष नंबर

मोबाईल नंबर

"घोषणा"

1- मैं.....पिता/पति.....

उपरोक्त वर्णित फर्म का मालिक/ प्रोपराइटर/निदेशक, हस्ताक्षरकर्ता इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने और इस निविदा दस्तावेज को निष्पादित करने में सक्षम हूँ।

2- मैंने निविदा के सभी नियमों और शर्तों को सावधानी से पढ़ और समक्ष लिया है और मुझे उनका पालन करने में कोई आपत्ति नहीं है।

3- उपर्युक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत कि गई जानकारी/ दस्तावेज मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और प्रमाणित है मैं/हम इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत है कि किसी भी झूठी सूचना/निर्मित दस्तावेज को प्रस्तुत करने पर फर्म तथा मेरे विरुद्ध सक्षम कानून के तहत अभियोजन स्थापित किया जा सकता है तथा किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा को एक पक्षीय रूप से अस्वीकार/निरस्त किया जा सकता है तथा मेरे द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकती है।

स्थान

दिनांक.....

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

सील

भाग : 6

'दर' को प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र

5.1 दर :-

क्र	विवरण	दर			
		प्रथम १२ घंटे के लिए		१२ घंटे से अधिक होने पर प्रत्येक घंटे के लिए	
		अंको में	शब्दों	अंको में	शब्दों में
1	प्रति वीडियो कैमरा				
	प्रति डिजिटल कैमरा				
	सी.सी.टी.वी. कैमरा (4 कैमरे का एक सेट प्रति यूनिट के मान से)				
	प्रति कलर (LED) टी.वी.मय केवल कनेक्शन				

क्र	विवरण	दर
	मतदान दिवस हेतु (1 दिवस) वीडियो/डिजिटल कैमरा मय कैमरामेन	

नोट :- उपरोक्त दरों में कर्मचारी, स्थापना व्यय, अन्य व्यय, तथा कर आदि सम्मिलित रहेंगे।

5.2 :- मैं/हम सहमत है कि हमारे द्वारा प्रस्तावित की गई उपरोक्त दर सभी कर एवं व्ययों सहित प्रस्तुत की गई है।

5.3 :- निविदानुसार समस्त शर्तें मुझे स्वीकार हैं तथा किसी भी निविदा शर्त के उल्लंघन को दोषी पाये जाने पर धरोहर राशि राजसात कर फर्म के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की सकेंगी।

5.4 :- निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी क्रमांक.....दिनांक.....राशि 50000/- बैंक का नामको संलग्न प्रस्तुत किया गया है।

5.5 :- विधानसभा क्षेत्रों का प्राथमिकता क्रम :-

क्र	विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	प्राथमिकता क्रम
1	175—मांधाता	
2	176—हरसूद (अ.ज.जा)	
3	177—खण्डवा (अ.जा)	
4	178—पंधाना (अ.ज.जा)	

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम

फर्म का नाम

फर्म का पता

निवास का पता

फर्म का दूरभाष नंबर

निवास का दूरभाष नंबर

मोबाईल नंबर

अनुबंध (प्रारूप)

यह अनुबंध दिनांकको कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला खण्डवा (म.प्र.) जिसे आगे इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए प्रथम पक्ष कहा गया है एवं मेसर्सजिसे आगे इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य संपादित किया जाता है अतः प्रथम पक्ष द्वारा चाहे जाने पर द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को तय निविदा शर्तों एवं नियमों के अधिन वीडियो कैमरें/डिजीटल कैमरे/सीसीटीवी/ आदि एवं वीडियोग्राफी हेतु मेनपावर उपलब्ध कराने हेतु सहमत हैं।

अतः यह अनुबंध दोनों पक्षों के मध्य निम्नानुसार शर्तों के अधीन संपादित किया जाता है।

- 1- मेनपावर की उपलब्धता तथा आवश्यक संख्या में केन्द्रों एवं अन्य लगने वाली सामग्री की व्यवस्था द्वितीय पक्ष के द्वारा की जावेगी।
- 2- द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी मेनपावर प्रथम पक्ष के सीधे नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेंगे तथा उसके कार्य के संबंध में प्रथम पक्ष के समस्त निर्देशों का पालन करेंगे।
- 3- मेनपावर को प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त किये जाने वाले विहित स्थान पर मय आवश्यक कैमरे एवं सामग्री सहित भेजने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
- 4- मेनपावर को मानदेय का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा।
- 5- सभी मेनपावर का यह उत्तरदायित्व होगा की वह शासकीय कार्य करते समय कार्य की गोपनीयता को बनाये रखे अतः द्वितीय पक्ष उपलब्ध कराये जाने वाले मेनपावर की विश्वसनीयता हेतु स्वयं उत्तरदायित्व रहेगा।
- 6- मेनपावर द्वारा नियत समय पर निर्धारित कार्यपूर्ण न करने/कार्य अक्षम होने/संसाधनों का दुरुपयोग करने/कार्यालयीन मर्यादाओं का उल्लंघन करने अथवा प्रशासनीक लापरवाही करने या उसके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता आदि से संबंधित तथा अन्य शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष के लिए यह बंधनकारी होगा की वह संबंधित मेनपावर के स्थान पर किसी अन्य मेनपावर की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें।
- 7- मेनपावर को उसके द्वारा किये गये कार्यों हेतु मानदेय के भुगतान अथवा अन्य किसी भी विषय के संदर्भ में प्रथम पक्ष से सीधे संपर्क अथवा पत्राचार नहीं करेगा नाहि उक्त संबंध में प्रथम पक्ष ऐसे किसी पत्राचार का सीधे जवाब देगा।
- 8- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला खण्डवा द्वारा नियत किये गये कार्यों के संबंध में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के परीक्षण उपरांत स्वीकृति योग्य पाई गई राशि में से नियमानुसार आंशिक राशि का भुगतान आवंटन की उपलब्धता अनुसार किया जावेगा।
- 9- द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 10- मेनपावर के संबंध में समस्त प्रचलित नियम/ कानूनों के पालन की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
- 11- मेनपावर की अकस्मात अनुपस्थिति केमरे की खराबी आदि होने पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा तत्काल की जायेगी। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर 500/- रुपये प्रतिदिन पेनाल्टी लगायी जायेगी। जो द्वितीय पक्ष को भुगतान योग्य राशि में से समायोजित की जायेगी।
- 12- प्रथम पक्ष किसी भी समय बिना किसी सूचना के तथा बिना कोई कारण बताये अनुबंध को निरस्त करने का तथा अन्य संस्था को कार्य करने हेतु आदेशित करने के लिए स्वतंत्र हैं जिसके संबंध में द्वितीय पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार के पत्राचार का जवाब अथवा सूचना देने की बाध्यता प्रथम पक्ष की नहीं होगी।
- 13- निविदा नियम एवं शर्तों के अनुसार स्वीकृत की जाने वाली दर प्रतिदिन (24 घण्टे) हेतु है। अतः द्वितीय पक्ष को उस अनुसार ही मेनपावर उपलब्ध रखे जाना आवश्यक होंगे।
- 14- स्वीकृत की गई दर समस्त करों सहित होगी। अतः जीएसटी/सीजीएसटी एवं आयकर से संबंधित तथा अन्य शासकीय करों के कटौती नियमानुसार देयक राशि में से किये जावेंगे।
- 15- ऐसा कोई बिन्दु जो कि उपरोक्त बिन्दुओं में शामिल नहीं है पर उभय - पक्ष निर्णय ले सकेंगे।
- 16- समस्त प्रकार के विवादों हेतु न्याय क्षेत्र खण्डवा रहेगा।